

सं. 13034/10/2017-रा.भा.(प्रशासन)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-1
दिनांक: 20 जून, 2018

आदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सम संख्यक आदेश दिनांक 31.05.2018 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार राजभाषा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को एतद द्वारा उनके नाम के सामने उल्लेखित विषयों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निम्न बदलाव किए जाते हैं -

क्र. सं.	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पता	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता
2,8	श्री राजू लाल मीना, अवर सचिव राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 फोन : 23438137 ई-मेल: rl.meena17@nic.in	संघ की राजभाषा नीति संबंधी व्याख्या और स्पष्टीकरण संबंधी मामले, विभागीय/सीधी भर्ती परीक्षा में हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग / हिन्दी कार्य के लिए पदों का सृजन और उसके लिए मानक निर्धारित करना । हिन्दी अधिकारियों / हिन्दी अनुवादकों आदि के कार्य व मानक / केंद्रीय हिन्दी समिति संबंधी मामले । संसदीय राजभाषा समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशासनिक मामले।	श्री एस. पी. शुक्ल, संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका/ समिति) राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 फोन : 23438250 ई-मेल: shukla.sp@nic.in

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

संदीप
21/06/18
(संदीप आर्य)

निदेशक (प्रशासन)

Ameyan 22/6/18

1. संबंधित अपीलीय प्राधिकारी ।

2. संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ।

प्रति -

(i) सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (राजभाषा) ।

(ii) वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को राजभाषा विभाग के वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।

(iii) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (आरटीआई सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-01

संदीप
21/06/18
(संदीप आर्य)

निदेशक (प्रशासन)